

- खानाबदोश और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों को उन लोगों के रूप में परभाषित किया जाता है, जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं।
- ऐतिहासिक रूप से घुमंतू और वसिक्त जनजातियों की कभी भी नज्दी भूमि या घर के स्वामित्व तक पहुँच नहीं थी।
- जबकि अधिकांश वसिक्त समुदाय, **अनुसूचित जाति (SC)**, **अनुसूचित जनजाति (ST)** और **अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC)** श्रेणियों में वितरित हैं, वहीं कुछ वसिक्त समुदाय SC, ST या OBC श्रेणियों में से किसी में भी शामिल नहीं हैं।
- आज़ादी के बाद से गठित कई आयोगों और समितियों ने इन समुदायों की समस्याओं का उल्लेख किया है।
 - इनमें संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) में गठित आपराधिक जनजात जाँच समिति, 1947 भी शामिल है।
 - वर्ष 1949 की अनंतशयनम् आयोग समिति (इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक जनजात अधिनियम को नरिस्त किया गया था)।
 - **काका कालेलकर आयोग** (जसि पहला अन्य पछिड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है) का गठन वर्ष 1953 में किया गया था।
 - वर्ष 1980 में गठित **मंडल आयोग** ने भी इस मुद्दे पर कुछ सफारिशें की थीं।
 - **संवधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिये राष्ट्रीय आयोग (NCRWC), 2002** ने भी माना था कि वसिक्त समुदायों को अपराध प्रवण के रूप में गलत तरीके से कलंकित किया गया है और कानून-व्यवस्था एवं सामान्य समाज के प्रतिनिधियों द्वारा शोषण के अधीन किया गया है।
 - NCRWC की स्थापना न्यायमूर्त एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में हुई थी।
- एक अनुमान के अनुसार, दक्षिण एशिया में विश्व की सबसे बड़ी यायावर/खानाबदोश आबादी (Nomadic Population) नविस करती है।
 - भारत में लगभग 10% आबादी वसिक्त और खानाबदोश है।
 - जबकि वसिक्त जनजातियों की संख्या लगभग 150 है, खानाबदोश जनजातियों की आबादी में लगभग 500 विभिन्न समुदाय शामिल हैं।

DNT के संबंध में वकिसात्मक प्रयास :

▪ पृष्ठभूमि:

- तत्कालीन सरकार द्वारा वर्ष 2006 में **वसिक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के लिये एक राष्ट्रीय आयोग (De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes- NCDNT)** का गठन किया गया था।
 - इसकी अध्यक्षता बालकृष्ण सदिराम रेन्के (Balkrishna Sidram Renke) द्वारा की गयी इस आयोग ने वर्ष 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
 - आयोग के अनुसार “यह वडिबना है कि ये जनजातियाँ किसी तरह हमारे संवधान नरिमाताओं के ध्यान से वंचित रही हैं।
 - वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विपरीत संवधानिक अधिकारों से वंचित हैं।
 - रेन्के आयोग ने वर्ष 2001 की **जनगणना** के आधार पर उनकी जनसंख्या लगभग 10.74 करोड़ होने का अनुमान लगाया था।
- **इदाते आयोग:**
 - राष्ट्रीय आयोग का गठन वर्ष 2015 में **श्री भीकू रामजी इदाते** की अध्यक्षता में किया गया था।
 - इस आयोग को विभिन्न राज्यों में इन समुदायों के वकिस की प्रगति का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में इन समुदायों की पहचान और उचित सूची बनाने का कार्य सौंपा गया था ताकि इन समुदायों के वकिस हेतु एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का वकिस किया जा सके।
 - इस आयोग की सफारिश के आधार पर, भारत सरकार ने वर्ष 2019 में **वसिक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के लिये वकिस और कल्याण बोर्ड (Development And Welfare Board For Denotified, Nomadic, And Semi-Nomadic Communities- DWBDNC)** की स्थापना की।
- **DNT के लिये योजनाएँ:**
 - **DNT के लिये डॉ. अंबेडकर प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति:**
 - यह केंद्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 2014-15 में वसिक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों (DNT) के उन छात्रों के कल्याण हेतु शुरू की गई थी, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं।
 - **DNT बालकों और बालिकाओं हेतु छात्रावासों के नरिमाण संबंधी नानाजी देशमुख योजना:**
 - वर्ष 2014-15 में शुरू की गई यह केंद्र प्रायोजित योजना, राज्य सरकारों/ केंद्रशासित प्रदेशों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से लागू की गई है।
 - वर्ष 2017-18 से “अन्य पछिड़े वर्गों (OBCs) के कल्याण के लिये काम कर रहे स्वैच्छिक संगठन को सहायता” योजना का वसितार DNT के लिये भी किया गया।

स्रोत: द हद्रि